(51)

संख्याः– 81 /XXVII(1)/ 2012

प्रेषक,

एल.एन.पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 05 फरवरी, 2013

विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के** आधार पर शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि **₹190499000.00 (₹उन्नीस करोड़ चार लाख निन्यानबे हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2–उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

(i) संक्रमित की जा रही धनराशि प्रथमतः वेतन एवं भत्तों तथा पेंशन के भुगतान आदि पर व्यय की जायेगी तथा शेष धनराशि विकास कार्यों पर व्यय की जायेगी।

(ii) कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(iii) संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/वित्त परामर्शदाता जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

(iv) उपयोगिता प्रमाण–पत्र अध्यक्ष जिला पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड/वित्त आयोग निदेशालय, कक्ष संख्या 19, पूर्वी ब्लाक सचिवालय देहरादून, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। **अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।**

(v) वित्तीय वर्ष 2011–12 में अवमुक्त चारों किश्तों व वित्तीय वर्ष 2012–13 में अवमुक्त सभी किश्तों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र **31 मार्च, 2013** तक उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अगले

वित्तीय वर्ष की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्धारित समयावधि तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी का होगा।

(vi) संक्रमित धनराशि वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक –3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थाएं–196–जिला पंचायतें/परिषदें–03–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा तथा संलग्नक बी0एम0–15 के कॉलम–4 की बचतों व कॉलम–6 में उपलब्ध कुल धनराशि (अलोटमैन्ट आई.डी. R1301070060) के अनुसार वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(एल.एन.पन्त)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या:– 81 (1)/XXVII(1)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उत्तराखण्ड।
2– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
7– निदेशक,लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
10–वित्त आयोग निदेशालय, कक्ष संख्या 19, पूर्वी ब्लाक, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11–एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल.एन.पन्त)
अपर सचिव, वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2012-2013)
बी .एम. - 15

अलोटमेंट आईडी - R1301070060
दिनांक - 29-Jan-2013

अनुदान संख्या - 007
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - .

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखाशिर्षक (1)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी (7)	अभिव्यक्ति
	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ 02 पंचायती राज संस्थायें 197 विकास खण्ड स्तरीय पंचायत 03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से स 00 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से (Non Plan Voted)				3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती रा 02 पंचायती राज संस्थायें 196 जिला पंचायतें/परिषदें 03 राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत करो 00 राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत करो (Non Plan Voted)			
1	20 - सहायक अनुदान/अंशदान/र 904715000	253990000	650723000	2000	20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज स 2000	761990000	904713000	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 15 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेण्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी जाय

(एल०एन०पन्त)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या 81 XXVII(1)/2013
दिनांकः 04 ~~जनवरी~~ फरवरी,2013 का संलग्क।

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012–13 में देय चतुर्थ किश्त की धनराशि का विवरण।

₹ हजार में

कम संख्या	जिला पंचायत का नाम	चतुर्थ किश्त हेतु देय धनराशि
1	अल्मोड़ा	13185
2	बागेश्वर	8075
3	चमोली	15886
4	चम्पावत	5831
5	देहरादून	18999
6	हरिद्वार	28998
7	नैनीताल	11363
8	पौड़ी	22758
9	पिथौरागढ़	14471
10	रूद्रप्रयाग	7426
11	टिहरी	13223
12	उधमसिंह नगर	16375
13	उत्तरकाशी	13909
	योग	**190499**

(₹उन्नीस करोड़ चार लाख निन्यानबे हजार मात्र)

(एल.एन.पन्त)
अपर सचिव, वित्त